

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

सूर्यकांत और सुदीप अहलूवालिया के समक्ष, जे. जे.

गुरुनाम सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ और अन्य- प्रतिवादी

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. No.1377

1 जनवरी, 2017

A. भारत का संविधान, **1950-अनुच्छेद 226 और 227-प्रतिनियुक्ति-सहमति अधिनियम-प्रतिधारण का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं-कैट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया-मूल विभाग को प्रत्यावर्तन-प्रतिनियुक्ति नहीं बढ़ाई गई-सेवानिवृत्ति देय-कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।**

माना जाता है कि प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से उधार लेने वाले और ऋण देने वाले विभागों के बीच एक सहमति वाला कार्य है। जब तक दोनों विभाग सहमत नहीं होते हैं, संबंधित कर्मचारी उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने और/या बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तत्काल मामले में, ऋण विभाग ने याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने में असमर्थता व्यक्त की है। भले ही भारत सरकार के निर्देश प्रतिनियुक्ति में पांच साल की अवधि से अधिक विस्तार की अनुमति देते हैं, ऐसे सक्षम प्रावधान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिधारण की मांग करने का प्रवर्तन योग्य अधिकार प्रदान किया गया है।

(पैरा 3)

बी. प्रतिनियुक्ति-मूल विभाग में पद पर ग्रहणाधिकार-प्रो फॉर्मा पदोन्नति अनुपस्थिति में दी जा सकती है।

यह तथ्य कि याचिकाकर्ता उच्च वेतन प्राप्त कर रहा था या प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उच्च पद पर था, भी न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाने का आधार नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिनियुक्ति पर एक कर्मचारी को एक उच्च पद के खिलाफ लिया जाता है और जाहिर है कि प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए वह ऐसे पद पर उच्च वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। हालांकि, प्रत्यावर्तन पर, कर्मचारी उस मूल पद पर कब्जा करने के लिए बाध्य है जिसके खिलाफ वह

मूल विभाग में ग्रहणाधिकार रखता है। यदि इस बीच वह अपने मूल विभाग में पदोन्नति का हकदार हो जाता है तो मूल विभाग द्वारा उसकी अनुपस्थिति में प्रो फॉर्मा पदोन्नति दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता का ऐसा कोई दावा है, तो वह निश्चित रूप से अपने मूल विभाग यानी सी. एफ. एस. एल. के समक्ष इसे उठा सकता है।

(पैरा 4)

ग. प्रतिनियुक्ति पर वेतन-सेवा की घटना, सेवा की शर्त नहीं।

यह दलील कि याचिकाकर्ता के प्रतिनियुक्ति पर आगे बने रहने से उसे उच्च पेंशन प्राप्त करने में लाभ होगा, यह भी-

गुरुनाम सिंह बनाम भारत का संघ अन्य संघ

421

(सूर्यकांत, जे.)

विभाग को उसे प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने के लिए मजबूर करने के लिए एक वैध आधार नहीं है। प्रतिनियुक्ति के दौरान प्राप्त परिलब्धियों की वापसी एक आकस्मिक परिस्थिति है जो एक 'सेवा की घटना' है न कि 'सेवा की शर्त'।

(पैरा 5)

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुनीत शर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

एस. पी. जैन, गगनदीप सिंह और सुरेश बत्रा के साथ भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रतिवादी-यू. ओ. आई. के लिए अधिवक्ता (चेतावनी पर)

सूर्या कान्ट, जे. ओरल

(1) याचिकाकर्ता दिनांकित 20.01.2017 आदेश से व्यथित है, जिसके अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') ने प्रवर्तन निदेशालय से उसके मूल विभाग, अर्थात् केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में उसके प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। (2) हालाँकि न्यायाधिकरण को अंतरिम राहत के अनुरोध पर विचार करते समय इस तरह का विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी, याचिकाकर्ता केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ (सी. एफ. एस. एल.) का एक स्थायी कर्मचारी है और उसे शुरू में तीन साल के लिए उप निदेशक के पद पर प्रवर्तन निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर ले जाया गया था

जिसे आगे दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था।याचिकाकर्ता अब डब्ल्यू. ई. एफ. 30.11.2017 की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाला है।उनकी पाँच साल की प्रतिनियुक्ति अवधि 31.12.2016 पर समाप्त हो गई थी।प्रवर्तन निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी ने अपने विवेक से याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके परिणामस्वरूप, उसे वापस भेज दिया गया है।इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में न्यायाधिकरण को जिस एकमात्र कारक पर विचार करना चाहिए था, वह यह था कि क्या याचिकाकर्ता को उसके मूल विभाग में वापस भेजने से कोई अपूरणीय नुकसान होगा या प्रवर्तन निदेशालय में उसे बनाए रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है?

(3) प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से उधार लेने वाले और ऋण देने वाले विभागों के बीच एक सहमति वाला कार्य है।जब तक दोनों विभाग सहमत नहीं होते हैं, संबंधित कर्मचारी उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने और/या बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।तत्काल मामले में, ऋण विभाग ने याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने में असमर्थता व्यक्त की है।भले ही भारत सरकार के निर्देश प्रतिनियुक्ति को पांच साल की अवधि से आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं, लेकिन ऐसा सक्षम प्रावधानसे यह नहीं माना जा सकता है कि ।

422

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

एक कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिधारण की मांग करने के लिए एक प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान किया गया है।

(4) यह तथ्य कि याचिकाकर्ता उच्च वेतन प्राप्त कर रहा था या प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उच्च पद पर था, भी अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगाने का आधार नहीं है।अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिनियुक्ति पर एक कर्मचारी को एक उच्च पद के खिलाफ लिया जाता है और जाहिर है कि वह ऐसे पद पर उच्च वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा।हालांकि, प्रत्यावर्तन पर, कर्मचारी उस मूल पद पर कब्जा करने के लिए बाध्य है जिसके खिलाफ वह मूल विभाग में ग्रहणाधिकार रखता है। यदि इस बीच वह अपने मूल विभाग में पदोन्नति का हकदार हो जाता है तो मूल विभाग द्वारा उसकी अनुपस्थिति में प्रोफॉर्मा पदोन्नति दी जा सकती है।यदि याचिकाकर्ता का ऐसा कोई दावा है, तो वह निश्चित रूप से अपने मूल विभाग यानी सी. एफ. एस. एल. के समक्ष इसे उठा सकता है। (5) यह दलील कि याचिकाकर्ता के प्रतिनियुक्ति पर आगे बने रहने से उसे उच्च पेंशन प्राप्त करने में लाभ होता, भी विभाग को उसे प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने के लिए मजबूर करने के लिए एक वैध आधार नहीं है।प्रतिनियुक्ति के दौरान प्राप्त परिलब्धियों की वापसी एक आकस्मिक परिस्थिति है जो एक 'सेवा की घटना' है न कि 'सेवा की शर्त'।

(6) इसी तरह, याचिकाकर्ता की याचिका कि वह प्रवर्तन निदेशालय आदि में कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहा है, इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय के समक्ष उच्च प्रोफाइल मामलों की जांच निगरानी का विषय है और इस संबंध में किसी भी कमी या कमी को उन कार्यवाहियों में बहुत अच्छी तरह से दूर किया जा सकता है।

(7) ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि न्यायाधिकरण द्वारा पैरा-18 के एक भाग में और विवादित आदेश के पैरा-19 में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनावश्यक हैं। न्यायाधिकरण को स्थगन मामले का निर्णय लेते समय ये टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थीं। यह सवाल कि क्या श्री के. के. सिंह ने कोई कदाचार किया है या नहीं, विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है न कि न्यायाधिकरण के। इस तरह की टिप्पणियों को तदनुसार रद्द करने का आदेश दिया जाता है।

(8) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधिकरण या इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां अस्थायी राय हैं और इनका मूल आवेदन के भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(9) इन टिप्पणियों, स्पष्टीकरणों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

कमलेश
अनुवादकर्ता